

जनपद-गोण्डा में विगत 02 वर्षों में 19 शिक्षकों को निलम्बित किया गया है।

क्र० सं०	निलम्बित शिक्षक का नाम व पदनाम	आरोपित बिन्दु
1	श्री राम चन्द्र तिवारी प्र०अ० उ०प्रा०वि० रामापुर कटरा बाजार,	1.सोशल मीडिया पर चुनाव-प्रचार करना। 2.राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना। 3.आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। 4.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना।
2	श्री दिलीप तिवारी स०अ०,कम्पोजिट वि०बादलपुर,बेलसर	1.सोशल मीडिया पर चुनाव-प्रचार करना। 2.राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना। 3.आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। 4.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना।
3	श्री सत्य नारायण दूबे प्र०अ० उ०प्रा०वि० भोरहा मुजेहना,	1.सोशल मीडिया पर चुनाव-प्रचार करना। 2.राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना। 3.आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। 4.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना।

4	श्री शिवनाथ गौतम स0अ0प्रा0वि0 पेमईपुरवाइ इटियाथोक	1.विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाना 2.हस्ताक्षर बनाकर स्कूल से चले जाना। 3.राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना। 4.आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करना। 5.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना। 6.ग्रुप में राजनैतिक फोटोग्राफ प्रेषित करना।
5	श्री अनुज यादव स0अ0, प्रा0वि0 लक्ष्मणपुर कटरा बाजार।	1. सोशल मीडिया पर चुनाव- प्रचार करना। 2.राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना। 3.आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करना। 4.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना।
6	श्री सबूर अहमद प्र0अ0 प्रा0वि0 ठकुरनपुरवा झंझरी	1.निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवही करना। 2.उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना। 3.अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना।
7	श्री प्रवीण कुमार स0अ0 प्रा0 वि0	1.कार्यालय में जबरदस्ती ताला लगाकर हंगामा करना।

	खैरमललुवा चक्र कटरा बाजार	2.कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना। 3.सरकारी सेवा नियमावली के विपरीत कार्य करना।
8	श्रीमती अर्चना वर्मा स0अ0 प्रा0वि0 नरौराडिहवा पण्डरी कृपाल	1.वित्तीय अभिलेख एवं सामग्री आदि का चार्ज न देना। 2.सह-समन्वयक पद से कार्यमुक्त हुए बिना विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना। 3.पत्र लेने से इनकार करना एवं आरोपित बिन्दुओं का स्पष्टीकरण न देना। 4.विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता करना।
9	श्री फारुक नौशाद प्रा0 वि0 भटमाझा बेलसर	1.बिना किसी सूचना विद्यालय बन्द करना। 2.बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहना। 3.शिक्षण कार्य में रुचि न लेना। 4.उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।
10	श्री राजेश कुमार प्र0अ0प्रा0वि0 टेंगनहवा विकास खण्ड बभनजोत	1.खण्ड शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर व्यापारिक ऋण लेना। 2.धोखाधड़ी एवं विशिष्ट प्रकार का आपराधिक

		कृत्य करना। 3.अध्यापक सेवा नियमावली के प्रतिकूल आचरण करना।
11	श्री विपिन मिश्रा प्र0अ0 प्रा0वि0 भवरियापारा मनकापुर,	1.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा गठित 03 सदस्यीय समिति से जांच कर उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के क्रम में।
12	श्रीमती उमा देवी स0अ0,उ0प्रा0वि0 चन्दापुर वजीरगंज	1.विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान देना। 2.विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव पर ध्यान न देना। 3.विभागीय कार्यों में रुचि न लेना।
13	श्री ओमकार नाथ स0अ0 प्रा0वि0 गुदरशाहपुरवा रूपईडीह	1.बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहना। 2.विद्यालय का प्रभार वरिष्ठ शिक्षक द्वारा न लिया जाना। 3.विद्यालय में कोई अभिलेख न पाया जाना। 4.मध्याह्न भोजन न बनना। 5.विद्यालय की रंगाई-पुताई स्तरहीन होना।
14	श्री गजेन्द्र सिंह	1.बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित

	स0अ0 प्रा0वि0 गुदरशाहपुरवा रूपईडीह	रहना। 2.विद्यालय का प्रभार वरिष्ठ शिक्षक द्वारा न लिया जाना। 3.विद्यालय में कोई अभिलेख न पाया जाना। 4.मध्याह्न भोजन न बनना। 5.विद्यालय की रंगाई-पुताई स्तरहीन होना।
15	श्रीमती अलका त्रिपाठी स0अ0 प्रा0वि0 पेम्ईपुरवा इटियाथोक	1.विद्यालय न आना। 2.अनुपस्थित दिनों का हस्ताक्षर बनाना। 3.अपने विभागीय कर्तव्यों का निर्वाहन न करना। 4.मनमाना एवं स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण करना।
16	सुश्री विनीत मिश्र, स0अ0, माडल प्रा0वि0 महाराजगंज इटियाथोक	1.पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करना। 2.विद्यालय का प्रभार प्रधानाध्यापक को हस्तगत न करना। 3.विद्यालय की रंगाई-पुताई न कराना। 4.कम्पोजिट धनराशि का दुरुपयोग करना।

		5.डी0बी0टी0 का कार्य न करना।
17	श्री अवधेश शुक्ला स0अ0, उ0प्रा0वि0 निगवाबोध पण्डरी कृपाल,	1.हाउस होल्ड सर्वे न करना। 2.बाल अधिकारों का हनन करना। 3.विद्यालय का प्रभार हस्तगत न करना। 4.स्पोर्ट्स ग्राण्ट का दुरुपयोग करना।
18	श्री अमरपाल सिंह स0अ0, कम्पोजिट विद्यालय समदरियनपुरवा कटरा बाजार	1.नियमित विद्यालय न जाना। 2.फल एवं दूध का वितरण न करना। 3.एम0डी0एम0 का संचालन न करना। 4.कम्पोजिट ग्राण्ट एवं खेलकूद धनराशि का दुरुपयोग करना।
19	सुश्री सुरेखा कुमारी स0अ0, कम्पोजिट विद्यालय मुगलजोत झंझरी	1.नियमित रूप से विद्यालय न जाना। 2.कार्यालय स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करना। 3.विद्यालय में स्टाप के साथ गाली-गलौज व मारपीट करना। 4.नोटिस का जवाब न देकर कार्यालय में आकर दबाव बनाना।

--	--	--

अब तक कुल 14 शिक्षकों को निलम्बन से बहाल किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या के क्रम में कठोर चेतावनी देते हुए बहाल किया गया है।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बेसिक शिक्षा विभाग